



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS



नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं. 22-12/3/2022-कार्मिक-नौमनि

दिनांक: 04.01.2024

कार्यालय आदेश क्रमांक. 05/2024

दिनांक 12.12.2023 के कार्यालय आदेश संख्या 115/2023 के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने कू दल के मामलों के संबंध में निम्नलिखित कार्य पुनर्वितरण का आदेश दिया है:

क्रम. संख्या.	अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	आवंटित कार्य
1.	कप्तान मनीष कुमार, नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उपनौमनि [तकनीकी]	1. कू अनुभाग - I 2. आरटीआई अनुभाग 3. पीक्यू 4. वीआईपी और संसद संदर्भ
2.	कप्तान डेनियल जोसेप, नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उपनौमनि [तकनीकी]	1. कू शाखा - II 2. सदस्य सचिव, एसडब्ल्यूएफएस 3. सदस्य, एसपीएफओ

2. (ए) कू शाखा - I (संशोधित आरपीएसएल मॉड्यूल / नियमित आरपीएसएल इंटरफेस से संबंधित मामले / आरपीएसएल के लिए अनुवर्ती सभी शिकायतें / आरपीएसएल के निरीक्षण और विनियमन, कानूनी मामले, आरटीआई मामले और सीपीजीआरएएमएस पर सूचीबद्ध मामले, नौमनि द्वारा प्रथम सुरक्षा पहल, कू-कनेक्ट-ग्लोबल, सागर मे योग, सागर मे सम्मान, सीटाइम मास्टर चेकर इश्यूज) जैसे आयोजनों में भागीदारी और अगले आदेश तक वरिष्ठों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

2.(बी) कू शाखा - II (शिकायत निवारण मॉड्यूल और संकट प्रबंधन समूह से संबंधित मामले, पत्तन आधारित नाविक रिसेस्पशन और कल्याण सुविधाएं, 75वीं वर्षगांठ कमेंट, कू-कनेक्ट-ग्लोबल जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी, शोर लीव मुद्दों, आपदा प्रबंधन के लिए स्थान संबंधी मामलों हेतु तैनाती, यूनियनों के साथ नियमित संपर्क, एमएलसी 2006 के अनुपालन और नाविक के अधिकारों पर मॉड्यूल, बीएसआईडी, सीडीसी, इंडोस सहित फॉर्म- I में सुधार और लापता प्रविष्टियों से संबंधित मामलें, एसईए मामलें, सीबीए मामलें, एमएलसी

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

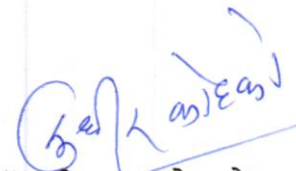
अनुपालन और छूट, एसपीएफओ मामलें, एसडब्ल्यूएफएस मामलें) और अगले आदेश तक वरिष्ठों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

3. क्रम संख्या 1 के अधिकारी नॉटिकल विंग के तहत आवंटित कार्यों को जारी रखेंगे और कू शाखा के आवंटित कार्यों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक संबोधित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नॉटिकल शाखा में कार्यों को समान प्राथमिकता और निपटान दिया जाए।

4. क्रम संख्या 2 का अधिकारी बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के अपने मौजूदा प्रभारों के अलावा कू शाखा - II का प्रभार भी संभालेंगे और प्रधान अधिकारी, सवावि, मुंबई के अनुमति से सप्ताह में तीन कार्य दिवसों में 1/2 दिन के लिए नौमनि के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान तैनाती में कार्यों को समान प्राथमिकता और निपटान दिया जाए।

5. कू शाखा में पूर्णकालिक तैनाती के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होने तक उपरोक्त आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

6. इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



[डॉ सुधीर एस. कोहकडे]

उप नौवहन महानिदेशक [कार्मिक]

सेवा में,
उपरोक्त सभी अधिकारी

प्रति सूचनार्थ अग्रेषित:

1. सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (ध्यानार्थ: श्री जी. अनंतनारायणन, अवर सचिव, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001)
2. नौमनि/ अपर नौमनि के वरिष्ठ निजी सचिव
3. मुख्य सर्वेक्षक/नॉटिकल सलाहकार (प्रभारी), उप मुख्य पोत सर्वेक्षक, नौमनि मुंबई के वरिष्ठ निजी सचिव।
4. प्रधान अधिकारी, सवावि कोलकाता/कोच्चि एवं प्रधान अधिकारी (प्रभारी) सवावि मुंबई, कांडला, चेन्नई
5. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई के सभी संबद्ध कार्यालय।
6. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई के सभी अधिकारी/अनुभाग।
7. वेतन एवं लेखा कार्यालय [पोत परिवहन], मुंबई/कोलकाता।
8. वित्त एवं लेखा अनुभाग, नौमनि मुंबई
9. सतर्कता अनुभाग, नौमनि मुंबई